



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852



पत्रांक : 01/यो0ब0 -35/2018-765 दिनांक : 23/12/20

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार।

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन योजना" योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत प्रशिक्षण मद हेतु कुल 14.000 (चौदह लाख रुपये) मात्र राशि का अतिरिक्त ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंग:-** इस कार्यालय का उप-आवंटन आदेश संख्या-01/यो0ब0-35/2018-623 दिनांक-12.10.2020।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा "मुख्यमंत्री जन वन योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत कुल 14.000 (चौदह लाख रुपये) मात्र का अतिरिक्त उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

क्र.सं.	प्राथमिक इकाई	राशि (लाख में)
1	प्रशिक्षण मद	14.000
कुल योग :-		14.000

2. उप-आवंटित की जा रही राशि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी अनुलग्नक-1 पर पर द्रष्टव्य है एवं ऑन लाईन उप-आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 पर संलग्न है।

3. प्रशिक्षण मद में उप-आवंटित राशि से कृषकों को फलदार एवं काष्ठ प्रजाति के निजी भूमि पर वृक्षारोपण से होने वाले लाभ से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाय, ताकि आम जनों में इसका प्रचार एवं प्रसार हो सके।

4. पूर्व उप-आवंटन के सभी शीर्ष, शर्त यथावत रहेंगे।

**अनुलग्नक :- यथोक्त।**

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-10/2020-765 दिनांक- 23/12/20

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका एवं इनविस सेंटर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-10/2020-765 दिनांक- 23/12/20


प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जानेवाली "मुख्यमंत्री  
जन वन योजना" (अन्य व्यय) अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्य हेतु  
प्रमंडलवार उप-आवंटित वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)			
क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	प्रशिक्षण मद
i	ii	iii	iv
1	दुमका जामताड़ा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	14.000
योग :-			14.000

  
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
 झारखण्ड, राँची।



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-10/2020\_1/765

दिनांक - 23-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102550335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय <b>State Scheme</b>  State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	65820	DMKFOR003  SOURAV CHANDRA (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	1,400,000.00  रुपये चौदह लाख



योग: 1,400,000.00

क्रमिक योग: रुपये चौदह लाख

(NAND KISHORE SINGH)  
ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND